



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 126-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 06 अगस्त, 2021
(15 श्रावण, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ०-39/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2021, दिनांक 06 अगस्त, 2021- पर्यावरण का हास रोकने तथा यातायात तथा मानव स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से बचने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवार सहित)	383-386
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अगस्त, 2021

संख्या का०आ० 39/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2021.— चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 तथा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के अधीन हरियाणा राज्य में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने, पर्यावरण का ह्रास रोकने तथा यातायात तथा मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों से बचने के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक तथा समीचीन हैं;

और चूंकि, राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुये पारिस्थितिक सन्तुलन और पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संकट से बचाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई०), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम, 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 104/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य में हॉट मिक्स प्लांट्स की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित स्थल निर्धारण मानदंडों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं:-

और चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 4 के उप-नियम (3क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि सरकार द्वारा अधिसूचना के प्रारूप पर, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि की समाप्ति को या बाद, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों सहित, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यालय में प्राप्त किए जाएं, पर विचार किया जाएगा ।

हरियाणा में हॉट मिक्स प्लांट के स्थल निर्धारण हेतु मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	दूरी
1	2	3
1.	नगरपालिका सीमा से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	5 किलोमीटर
2.	राजस्व फिरनी (जहां गांव में फिरनी नहीं है, वहां लाल डोरा) से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	500 मीटर
3.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	500 मीटर
4.	निकटतम राज्यमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	300 मीटर
5.	निकटतम मुख्य जिला सड़क और अन्य सड़कों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	300 मीटर
6.	अतिसंवेदनशील स्थानों जैसे अस्पताल, पर्यटक स्थल, झीलें, राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार/संरक्षण/आरक्षित से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	500 मीटर
7.	श्रेणी 'ए' नगर और शहरों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	2 किलोमीटर
8.	अन्य नगर और शहरों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	1 किलोमीटर
9.	आवासीय क्षेत्र (15 पक्के मकान) सीमा से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	300 मीटर
10.	शैक्षिक संस्थान/ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों/संरक्षित स्मारकों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	300 मीटर
11.	चिडियाघर से अपेक्षित न्यूनतम दूरी ।	500 मीटर

टिप्पणः—

- (i) प्रत्येक इकाई के लिये अपेक्षित न्यूनतम भूमि दो एकड़ होगी;
- (ii) भविष्य में, वायु सफाई या बहुप्रयोजन आर्द्र मानकों के साथ शुष्क धूल कलक्टर (एकत्रक) (मल्टीसाइक्लोन) के सिद्धान्त पर आधारित रिजर्व वायु क्लीनर सहित फ़ैबरिक फिल्टर रखने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों की नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ केवल हॉट मिक्स प्लांट अनुज्ञात होंगे। लोडिंग सैक्शन में एलीवेटर्ज पूर्णतया ढके हुए होंगे;
- (iii) सड़क तथा आबादी के सामने पौधों की कम से कम 3 कतारों सहित दस मीटर चौड़ी बफर ग्रीन बैल्ट होनी चाहिए;
- (iv) प्राप्त किये जाने के लिए अपेक्षित उत्सर्जन मानक : सस्पेंडिड पार्टिकुलर मैटर (मिलीग्राम/नार्मल क्यूबिक मीटर)।
- (v) वर्तमान इकाई जिन में उपर यथा परिभाषित नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हैं उन्हें वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र की नवीनतम प्रौद्योगिकी दो वर्ष की अवधि के भीतर उपलब्ध करवानी होगी;
- (vi) हाट मिक्स प्लांट की चिमनी की उंचाई कम से कम 25 मीटर बढ़ानी होगी;
- (vii) सभी हॉट मिक्स प्लांट धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भू-खण्ड की परिधि के साथ न्यूनतम 6 मीटर ऊँची चार दीवारी/जी0आई0 शीट की स्क्रीनिंग बनाएंगे;
- (viii) सभी हॉट मिक्स प्लांटों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक लागू होंगे;
- (ix) पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित या समय-समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 2000 सभी हॉट मिक्स प्लांटों पर लागू होंगे;
- (x) सभी हॉट मिक्स प्लांट केवल उसी स्वीकृत ईंधन का उपयोग करेंगे जोकि समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ राज्य सरकार / हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित/जारी किए जाएंगे;

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT****Notification**

The 6th August, 2021

No. S.O. 39/C.A. 29/1986/S. 5 and 7/2021.— Whereas, it is necessary and expedient to take immediate steps under section 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, to maintain ecological balance in the State of Haryana, to prevent environmental degradation and avoid traffic and human health hazards :

And whereas, the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in view the industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, Notification No. S.O. 152(E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the Environment Department, Notification No. S.O. 104/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2010, dated the 15th October, 2010 the Governor of Haryana propose to issue the following directions for siting criteria norms for establishing the Hot Mix Plants in the State of Haryana:-

And whereas, in exercise of powers under sub-rule (3-a) of rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, notice is hereby given that the draft of the notification shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification, together with objections and suggestion, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Environment Department, from any person with respect to the draft of notification, before the expiry of the period so specified.

NORMS FOR SITING OF HOT MIX PLANTS IN HARYANA

Serial Number	Criteria	Distance
1	2	3
1.	Minimum distance required from the Municipal Corporation limit.	5 Kilometer
2.	Minimum distance required from revenue phirni (Lal Dora wherever there is no village phirni)	500 Meters
3.	Minimum distance required from the nearest National Highway.	500 Meters
4.	Minimum distance required from the nearest State Highway	300 Meters
5.	Minimum distance required from the nearest Major District Road and Other Roads	300 Meters
6.	Minimum distance required from sensitive places like Hospitals, Tourist Spots, Lakes, National Monuments and National Parks/Wild life sanctuaries/conservation reserves	500 Meters
7.	Minimum distance required from the class A Town & Cities limit.	2 Kilometers
8.	Minimum distance required from the other Town & Cities limit.	1 Kilometer
9.	Minimum distance required from the residential area (15 Pucca Houses) limit.	300 Meters
10.	Minimum distance required from the Educational Institute/Historical Religious Places/Protected Monuments limit	300 Meters
11.	Minimum distance required from the Zoo limit.	500 Meters

Note:-

- (i) Minimum land required for each unit shall be two acres;
- (ii) In future, Hot Mix Plants with latest technology of Pollution Control Measures having Fabric Filter with reverse air cleaner based on the principle of Reverse Air cleaning or Dry dust collector (Multicyclone) with multiple wet scrubbers shall only be allowed. Elevators at loading section shall be fully covered;
- (iii) There should be buffer green belt facing road and abadi having width of ten meters with a minimum of three rows of plants;
- (iv) Emission Standards required to be achieved : Suspended Particular Matter (Milligram/Normal Cubic Meter).
- (v) Existing unit which do not have the latest technology as defined above shall have to provide the latest technology of Air Pollution Control Measure within a period of two years.
- (vi) Hot Mix Plant shall have to arise the stack height of atleast twenty five meters;
- (vii) All Hot Mix Plants shall provide a minimum of six meter compound wall / screening of GI sheets along the plot periphery to control dust emission;
- (viii) National Ambient Air Quality Standards as notified by the Central Pollution Control Board / Ministry of Environment, Forest and Climate Change/ State Government from time to time shall be applicable on all the Hot Mix Plants;
- (ix) Noise pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change or as amended from time to time, shall be applicable on the Hot Mix Plants;
- (x) All Hot Mix Plants shall use only those approved fuels as notified/issued by Central Pollution Control Board / Ministry of Environment, Forest and Climate Change / State Government / Haryana State Pollution Control Board from time to time.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.